chaturpost.com

2024 का विधेयक संख्यांक 109

[दि वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

2. वक्फ अधिनियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वक्फ" शब्द के स्थान पर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास" शब्द रखे जाएंगे । 1995 का 43

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 5

'(कक) "आगाखानी वक्फ" से आगाखानी वाकिफ द्वारा समर्पित वक्फ अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 10

'(गक) "बोहरा वक्फ" से बोहरा वाकिफ द्वारा समर्पित वक्फ अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) "कलक्टर" में जिले का भू-राजस्व कलक्टर या उपायुक्त अथवा कलक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत उप कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी सम्मिलित है ;'; 15

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(चक) "सरकारी संगठन" में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिकाओं, पंचायतों से संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वायत निकाय या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई संगठन या संस्था, सम्मिलित है ; 20

(चख) "सरकारी संपत्ति" से सरकारी संगठन से संबंधित कोई धल या अचल संपत्ति या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;'; 25

(v) खंड (झ) में, "मौखिक रूप से अथवा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(टक) "पोर्टल और डेटाबेस" से वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली या वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखा, संपरीक्षा और कोई अन्य ब्यौरे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य प्रणाली अभिप्रेत है ;'; 30

(vii) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 35

'(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

chaturpost.com

(viii) खंड (त) का लोप किया जाएगा;

(ix) खंड (द) में,—

(क) आरंभिक भाग में "किसी व्यक्ति द्वारा" से प्रारंभ होने वाले "और इसके अंतर्गत है" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "किसी व्यक्ति द्वारा जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम की साधना कर रहा है, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी संपत्ति का स्वामित्व रखते हुए, ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (iv) में, "कल्याण" शब्द के पश्चात् "विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के भरण-पोषण ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) दीर्घ रेखा में, "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "ऐसा कोई व्यक्ति" रखे जाएंगे।

chaturpost.com

धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन। वक्फ की कतिपय शर्तें।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"3क. (1) कोई व्यक्ति वक्फ का सृजन नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह ऐसी संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी नहीं है और ऐसी संपत्ति को अंतरित या समर्पित करने के लिए सक्षम नहीं है ।

(2) वक्फ-अल-औलाद के सृजन का परिणाम, वाकिफ के महिला उत्तराधिकारियों सहित, उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार अधिकारों का प्रत्याख्यान नहीं होगा ।

पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ का विवरण फाइल करना ।

3ख.(1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ से पूर्व इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वक्फ ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर पोर्टल और डैटाबेस पर वक्फ और वक्फ के लिए समर्पित संपत्ति के ब्यौरे फाइल करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वक्फ के ब्यौरों में अन्य सूचना के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) वक्फ संपत्तियों की पहचान और सीमाएं, उनका उपयोग और अधिभोगी ;

(ख) वक्फ के सृजनकर्ता का नाम और पता, ऐसे सृजन की रीति और तारीख ;

(ग) वक्फ विलेख, यदि उपलब्ध हो ;

(घ) वर्तमान मुतवल्ली और उसका प्रबंधन ;

(ङ) ऐसी वक्फ संपत्तियों से सकल वार्षिक आय ;

(घ) वक्फ संपतियों के संबंध में वार्षिक रूप से संदेय भू-राजस्व, उपकर, दरों और करों की रकम ;

(छ) वक्फ संपतियों की आय प्रापण में वार्षिक रूप से उपगत प्राक्कलित व्यय ;

(ज) निम्नलिखित के लिए वक्फ के अधीन पृथक रखी गई रकम—

(i) मुतवल्ली का वेतन और व्यष्टिकों के भते ;

(ii) केवल धार्मिक प्रयोजन ;

(iii) धर्मार्थ प्रयोजन ; और

(iv) कोई अन्य प्रयोजन ;

(झ) ऐसी वक्फ संपतियों को अंतर्वलित करने वाले न्यायालय मामले, यदि कोई हों, के ब्यौरे ;

(ञ) कोई अन्य विवरण जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

वक्फ की सदोष घोषणा ।

3ग. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् वक्फ संपति के रूप में पहचान की गई या घोषित हुई सरकारी संपति किसी वक्फ की संपति नहीं समझी जाएगी ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न कि क्या कोई संपति सरकारी संपति है या नहीं, उद्भूत होता है तो उसे अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा, वह ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे, तथा वह यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी संपति सरकारी संपति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु ऐसी संपति तब तक वक्फ संपति के रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक कलक्टर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करें ।

(3) यदि कलक्टर यह अवधारित करता है कि वह संपति सरकारी संपति है तो वह राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) राज्य सरकार, कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्ति पर अभिलेखों में समुचित संशोधन करने हेतु बोर्ड को निदेश देगी ।

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, "ओकाफ़ का सर्वेक्षण" शीर्षक रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ पर सर्वेक्षण आयुक्त के समक्ष लंबित कोई ओकाफ सर्वेक्षण अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को अंतरित किया जाएगा और कलक्टर राज्य की राजस्व विधियों में प्रक्रिया के अनुसार कलक्टर को अंतरित ऐसे सर्वेक्षण के स्तर से आगे सर्वेक्षण करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

chaturpost.com

करेगा ।";

(ग) उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (4) में आरंभिक भाग में "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) उपधारा (5) में, "सुन्नी वक्फ" के पश्चात् "या आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "शिया ओकाफ़" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी ओकाफ़ या बोहरा ओकाफ़" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर पोर्टल पर ओकाफ की अधिसूचित सूची और डाटाबेस अपलोड करेगी ।"

(2ख) प्रत्येक वक्फ के ब्यौरों में वक्फ संपत्तियों की पहचान, सीमाएं, उनके उपयोग और अधिष्ठाता, सृजनकर्ता के ब्यौरे, ऐसे सृजन की तारीख, पद्धति और वक्फ का प्रयोजन, उनके वर्तमान मुतवल्ली और प्रबंधन में ऐसी रीति जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अंतर्विष्ट होंगे ।";

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) राजस्व प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त राजस्व विधियों के अनुसार भू-अभिलेखों में दाखिल खारिज विनिश्चित करने के पूर्व दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, 90 दिन की लोक सूचना ऐसे क्षेत्रों की अवस्थितियों में प्रचालित करेगा और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा ।";

(ङ) उपधारा (4) में, "समय-समय पर" शब्दों के पश्चात "पोर्टल और डाटाबेस पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) पहले परंतुक में, "एक वर्ष" , शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1) में,—

(i) "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) पहले परंतुक में, "एक वर्ष" शब्द जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के पश्चात् अधिकरण द्वारा कोई आवेदन ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने हेतु उसके पास पर्याप्त कारण था :

परंतु यह और कि" ।

chaturpost.com

धारा 9 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) वक्फ का भार साधक संघ का मंत्री—पदेन अध्यक्ष;

(ख) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा से होंगे और एक राज्य सभा से होगा ;

(ग) निम्नलिखित सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) अखिल भारतीय चरित्र और राष्ट्रीय महत्व वाले मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन व्यक्ति ;

(ii) चक्रानुक्रम द्वारा तीन बोर्डों के अध्यक्ष ;

(iii) पांच लाख रुपए या उससे अधिक की कुल वार्षिक आय वाले वक्फ के मुतवल्लियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति ;

(iv) तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि में ख्यातिप्राप्त विद्वान हों ;";

(घ) दो व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय

के न्यायाधीश रह चुके हों ;

(ङ) राष्ट्रीय ख्याति का एक अधिवक्ता ;

(च) राष्ट्रीय ख्याति के चार व्यक्ति, प्रशासन या प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, इंजीनियरी या वास्तुकला और चिकित्सा के क्षेत्र से प्रत्येक से एक-एक व्यक्ति ;

(छ) संघ मंत्रालय या विभाग में वक्फ मामलों से संबंधित अपर सचिव या संयुक्त सचिव, भारत सरकार - सदस्य, पदेन :

परंतु खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त कुल सदस्यों में से दो सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोहरा और आगाखानी के लिए पृथक् बोर्ड स्थापित कर सकेगी ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे,—

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख)(i) यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से एक संसद् सदस्य ;

(ii) राज्य विधानमंडल का एक सदस्य ;

(ग) मुस्लिम समुदाय में आने वाले निम्नलिखित सदस्य, अर्थात्:—

(i) एक लाख रुपए या उससे अधिक की आय वाला वक्फ का एक मुतवल्ली ;

(ii) मुस्लिम धर्मविधा का एक ख्यातिप्राप्त विद्वान ;

(iii) नगर पालिकाओं या पंचायत से दो या अधिक निर्वाचित सदस्य :

परंतु उपखंड (i) से उपखंड (iii) में किसी भी श्रेणी से कोई मुस्लिम सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो उपखंड (iii) में श्रेणी से अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

(घ) दो व्यक्ति, जिनके पास व्यवसाय प्रबंध, सामाजिक कार्य,

वित या राजस्व, कृषि और विकास गतिविधियों में वृतिक अनुभव है ;

(ङ) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो ;

(च) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधिज्ञ परिषद् का एक सदस्य :

परंतु खंड (ग) के अधीन नियुक्त बोर्ड के दो सदस्य, महिला होंगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त बोर्ड के कुल सदस्य में से दो सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे :

परंतु यह और कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शिया, सुन्नी और मुस्लिम समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा :

परंतु यह और भी कि राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्यात्मक औकाफ होने की स्थिति में बोहरा और आगाखानी समुदायों से एक एक सदस्य को बोर्ड में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

परंतु यह और भी कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ पर पद धारण करने वाले बोर्ड के निर्वाचित सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्री, बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं होगा ।

(3) संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच से अन्यून एवं सात से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।";

chaturpost.com

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(6) मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या का अवधारण करने में, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की दशा में केन्द्रीय सरकार को, बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले मुस्लिम औकाफ के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या और महत्व को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति, जहां तक हो सके, ऐसे अवधारण के अनुसार की जाएगी ।";

(ग) उपधारा (8) का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडित किया गया है ;"।

धारा 17 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "उसका अधिवेशन" शब्दों के पश्चात्, "प्रत्येक मास में कम से कम एक बार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 20क का लोप ।

14. मूल अधिनियम की धारा 20क का लोप किया जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला बोर्ड का पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनून्य नहीं होगा ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(क) उपधारा (2) में, खंड (ड) में स्पष्टीकरण और परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में, "और अभिकरण का विनिश्चय इस पर अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 33 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(क) उपधारा (4) में, परन्तुक में "और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 36 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारम्भ से, कोई वक्फ विलेख के बिना निष्पादन के सृजित नहीं किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) आरम्भिक पैरा में, "ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, उपबंध करे" शब्दों के स्थान पर "पोर्टल और डाटा बेस के माध्यम से बोर्ड के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) कोई अन्य विशिष्टियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जा सकें ।"।

(ग) उपधारा (4) में, "अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है तो उसमें वक्फ के उद्गम, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि वे

chaturpost.com

आवेदक को ज्ञात है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड आवेदन के असली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किन्हीं विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच करते हुए अपनी अधिकारिता में कलेक्टर को आवेदन अग्रेषित करेगा :

परन्तु आवेदन वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ड वक्फ को रजिस्ट्रर करने से पहले आवेदन की सूचना वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि वह सुनवाई चाहता है तो उसको सुनेगा ।

(7क) जहां कोई कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित करता है कि कोई संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवाद में है या सरकारी संपत्ति है, वक्फ संपत्ति के ऐसे भाग के संबंध में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक विवाद का विनिश्चय सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता ।";

(ङ) उपधारा (8) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(9) बोर्ड, वक्फ का रजिस्ट्रीकरण करने पर पोर्टल और डाटा बैस के माध्यम से वक्फ को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(10) किसी वक्फ, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, की ओर से किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारम्भ से छह मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् किसी न्यायालय द्वारा संस्थित या प्रारम्भ या सुनवाई, विचारण या विनिश्चय नहीं किया जाएगा ।" ।

धारा 37 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में "विशिष्टियां" शब्द के पश्चात् "ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, "विनियमों द्वारा उपबंधित" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "भू-अभिलेख कार्यालय" शब्दों के पश्चात् "प्रवृत्त राजस्व विधियों के अनुसार भू-अभिलेख में नामांतरण के विनिश्चय से पूर्व ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्रों में प्रचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में नब्बे दिन की सार्वजनिक सूचना देगा जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगी तथा प्रभावित व्यक्ति को

सुनवाई का अवसर देगा" शब्द रखे जाएंगे ।

20. मूल अधिनियम की धारा 40 का लोप किया जाएगा । धारा 40 का लोप किया जाना ।

21. मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (2) में,— धारा 46 का संशोधन ।

(क) "जुलाई" शब्द के स्थान पर दोनों स्थान पर जहां वे आते हैं, "अक्तूबर" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, प्राप्त सभी व्यय के बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, किसी स्रोत से प्राप्त सभी व्यय के केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

22. मूल अधिनियम की धारा 47 में,— धारा 47 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "बोर्ड द्वारा नियुक्त" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

chaturpost.com

"राज्य सरकार द्वारा तैयार लेखा परीक्षकों के पैनल में से :

परन्तु राज्य सरकार लेखा परीक्षकों के ऐसे पैनल को तैयार करते समय ऐसे लेखा संपरीक्षकों को संदाय करने वाले पारिश्रमिक को विनिर्दिष्ट करेगी ;";

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,—

"(ख) ऐसे वक्फ के, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, लेखाओं की संपरीक्षा वार्षिक रूप में ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी जो खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षकों के पैनल से बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो ;";

(iii) खंड (ग) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए भारत के महालेखा संपरीक्षक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहीत किए गए किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा किसी भी समय किसी वक्फ की संपरीक्षा को कराने के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी ;";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।";

(ग) उपधारा (3) के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 48 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियां और आदेश ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रकाशित किए जाएंगे ।";

(ख) उपधारा (3) में, "और अधिकरण को उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए आदेश का प्रवर्तन रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 50क का अंत:स्थापन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

मुतवल्ली की निरहर्ता ।

"50क. कोई व्यक्ति, मुतवल्ली के रूप में, नियुक्त होने या बने रहने के लिए अर्हक नहीं होगा, यदि वह,—

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है ;

(ख) विकृतचित व्यक्ति के रूप में पाया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से उसे दंडित किया गया है ;

(ङ) किसी वक्फ संपति पर अधिक्रमण का दोषी ठहराया गया है ;

(च) किसी पूर्व अवसर पर–

(i) मुतवल्ली के रूप में हटाया गया है ; या

(ii) कुप्रबंधन के लिए या भ्रष्टाचार के लिए अरोसे की स्थिति से सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा हटाया गया है ।"।

धारा 52 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) में, "और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 52क का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 52क में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "कठोर कारावास" शब्दों के स्थान पर, "कारावास" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परन्तु में, "बोर्ड में निहित" शब्दों के स्थान पर, "वक्फ को

वापस प्रतिवर्तित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 55क का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 55क की उपधारा (2) के परंतुक में, "और उस पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 61 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ङ) और खंड (च) का लोप किया जाएगा ;

(ii) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"असफल रहेगा तो वह, जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान नहीं कर देता है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण था, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि कोई मुतवल्ली,—

(i) किसी वक्फ संपत्ति का कब्जा परिदान करने में, यदि बोर्ड या अधिकरण द्वारा आदेश किया जाए ;

(ii) कलेक्टर या बोर्ड के निदेशों का कार्यान्वयन करने में ;

(iii) कोई अन्य कृत्य करने में, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे विधिपूर्वक करना अपेक्षित है ;

(iv) धारा 46 के अधीन लेखाओं का विवरण प्रदान करने में ;

(v) धारा 3ख के अधीन वक्फ के ब्यौरे अपलोड करने में,

असफल रहेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा तथा जुर्माने से भी, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

धारा 64 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) एक वर्ष के लिए ऐसे नियमित लेखाओं को रखने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल रहा है अथवा एक वर्ष के भीतर वह वार्षिक लेखा विवरण देने में असफल रहा है, जो धारा 46 द्वारा अपेक्षित है ; अथवा";

(ii) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

chaturpost.com

"(ठ) किसी ऐसे संगम का सदस्य है, जिसे विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया है ।"; 1967 का 37

(ख) उपधारा (4) में, "और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 65 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) में, "यथाशीघ्र" शब्द के स्थान पर, "छह मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 67 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 67 में,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (6) के दूसरे परंतुक में, "और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 69 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 69 में,—

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति तथा जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए लिखित नोटिस नहीं दिया जाता है ।"।

धारा 72 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 72 में,—

(क) उपधारा (1) में, "सात प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, "और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 73 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (3) में, "तथा ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 83 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई अन्य अधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण के रूप में घोषित किया जा सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :—

"परंतु यदि कोई अधिकरण नहीं है या अधिकरण कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई व्यथित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।" ।

(ग) उपधारा (4) के स्थान, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) प्रत्येक अधिकरण दो सदस्यों से मिलकर बनेगा—

(क) ऐसा एक व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है या नियुक्त किया गया है, जो अध्यक्ष होगा ; और

(ख) ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के समतुल्य का अधिकारी है या नियुक्त किया गया है - सदस्य :

परंतु सदस्य का अनुपस्थिति की दशा में, पीठ का अध्यक्ष अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा :

परंतु यह और कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रवर्तन के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष और इसके सदस्यों के पद की अवधि की समाप्ति तक ऐसे कृत्य करना जारी रखेगा ।";

(घ) उपधारा (4क) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा ।";

(ङ) उपधारा (7) में "अंतिम होगा और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।"।

धारा 84 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 84 में,—

(क) "विनिश्चय लिखित रूप में" शब्दों के पश्चात् "आवेदन की तारीख से छह मास के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि मामला छह मास के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, तो अधिकरण लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए कि क्यों छह मास की उक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित नहीं किया गया था, छह मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित

करेगा ।"।

धारा 91 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 91 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1894 का 1 2013 का 30

(ii) "तीन मास"शब्दों के स्थान पर, "एक मास"शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 धारा 32" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 77 या धारा 78"शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1894 का 1 2013 का 30

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 77 या धारा 78" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1894 का 1 2013 का 30

(ii) "उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड"शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्ति से संबंधित भाग को प्रास्थगन में रखा जाएगा, यदि बोर्ड"शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कलेक्टर संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् बोर्ड को आवेदन करने की तारीख से एक मास के भीतर आदेश करेगा ।"।

chaturpost.com

धारा 100 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 100 में, "सर्वेक्षण आयुक्त"शब्दों के स्थान पर, "कलेक्टर" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 101 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 101 के पार्श्व शीर्ष और उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर, "सर्वेक्षण आयुक्त"शब्दों के स्थान पर, "कलेक्टर"शब्द रखा जाएगा ।

धारा 104 का लोप ।

40. मूल अधिनियम की धारा 104 का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 107, धारा 108 और धारा 108क का लोप ।

41. मूल अधिनियम की धारा 107, धारा 108 और धारा 108क का लोप किया जाएगा ।

धारा 108ख का अंत:स्थापन ।

42. मूल अधिनियम की यथा लोपित धारा 108क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

"108ख. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना

सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के खंड (टक) के अधीन वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखाओं, लेखापरीक्षा और अन्य ब्यौरों और खंड (v) के खंड (iv) के अधीन विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के भरण-पोषण के लिए संदाय की रीति के लिए वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली ;

(ख) धारा 3ख की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन अन्य विशिष्टियां ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2क) के अधीन वह रीति, जिसमें वक्फ के ब्यौरे अपलोड किए जाएंगे ;

(घ) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन अन्य विशिष्टियां ;

(ङ) वह रीति, जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड अक्फ रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा ;

(च) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अक्फ रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(छ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लेखा विवरणों का प्ररूप और रीति तथा विशिष्टियां ;

(ज) धारा 47 की उपधारा (2क) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रकाशित करने की रीति ;

(झ) धारा 48 की उपधारा (2क) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियों और आदेशों को प्रकाशित करने की रीति ;

(ञ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

chaturpost.com

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

धारा 109 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ik) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (vik) और खंड (vikh) में, "धारा 31"शब्द और अंकों, उन दोनों

स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "धारा 29" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (xviii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xviiiक) धारा 69 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस देने की रीति ;"।

धारा 110 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वक्फ अधिनियम, 1955, ओकाफ़ के बेहतर प्रशासन और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान, यह महसूस किया गया कि अधिनियम ओकाफ़ के प्रशासन में सुधार करने में प्रभावी साबित नहीं हुआ है ।

2. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और वक्फ और केंद्रीय वक्फ परिषद् पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्य पणधारियों के साथ विस्तृत परामर्श करने के पश्चात् 2013 में अधिनियम में एक व्यापक संशोधन किए गए थे । संशोधनों के बावजूद, यह देखा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों, रजिस्ट्रीकरण और वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, अतिक्रमण हटाने, जिसके अंतर्गत स्वयं "वक्फ" की परिभाषा भी है, से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अधिनियम में अभी भी और सुधार की आवश्यकता है ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कमियों को दूर करने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता में अभिवृद्धि के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यक महसूस की गई है । इसलिए, संसद में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जो इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने और वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास के आशयित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

chaturpost.com

(क) वक्फ अधिनियम, 1955 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना ;

(ख) "वक्फ" को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कि किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ, जो कम से कम पांच वर्ष इस्लाम की साधना कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वक्फ-अल-औलाद का सृजन महिला के उत्तराधिकार अधिकारों का प्रत्याख्यान नहीं करे ;

(घ) "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से संबंधित उपबंधों का लोप ;

(ङ) वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर की पंक्ति से अन्यून किसी अन्य अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त के कृत्य प्रदान करना ;

(च) केंद्रीय वक्फ परिषद् और राज्य वक्फ बोर्डों और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बृहत् आधार पर संरचना का उपबंध करना ;

(छ) बोहरा और आगाखानियों के लिए पृथक् ओकाफ़ बोर्ड की स्थापना का

उपबंध करना ;

(ज) शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और मुस्लिम समुदायों के मध्य अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करना ;

(झ) केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के रजिस्ट्रीकरण की रीति को सुव्यवस्थित करना ;

(ञ) किसी संपति को वक्फ संपति के रूप में अभिलिखित करने से पूर्व सभी संबद्ध पक्षकारों को सम्यक् सूचना के साथ राजस्व विधियों के अनुसार नामांतरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया का उपबंध करना ;

(ट) यह विनिश्चित करने की बोर्ड की शक्ति, कि क्या कोई संपति वक्फ संपति है, से संबंधित धारा 40 का लोप करना ;

(ठ) प्रत्येक वक्फ जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पांच हजार रुपए से कम नहीं है, मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान को सात प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत करना;

(ड) मुतवल्लियों द्वारा उनके क्रियाकलापों पर बेहतर नियंत्रण के लिए केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को वक्फ के खाते दाखिल करने का उपबंध करना ;

(ढ) दो सदस्यों के साथ अधिकरण की संरचना में सुधार करना और अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध नब्बे दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील का उपबंध करना ;

(ण) धारा 107 का लोप करना, जिससे अधिनियम के अधीन किसी भी कार्रवाई पर परिसीमा अधिनियम, 1963 लागू हो सके; और निष्क्रांत वक्फ संपति के बारे में विशेष उपबन्ध और अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना से संबंधित धारा 108 और 108क का लोप करना;

4. खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करता है।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2024

किरेन रीजीजू

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित धारा 1 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिनियम के संक्षिप्त नाम को "वक्फ अधिनियम, 1995" से संशोधित करके "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" किया जा सके ।

विधेयक का खंड 3 परिभाषा से संबंधित धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 3 में कुछ परिभाषाओं का संशोधन और प्रतिस्थापन किया जा सके तथा कुछ नई परिभाषाओं का उपबंध किया जा सके, जैसे आगाखानी वक्फ, बोहरा वक्फ, कलक्टर, सरकारी संगठन और सरकारी संपत्ति आदि ।

विधेयक का खंड 4 वक्फ की कतिपय शर्तें, पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ का विवरण फाइल करना, वक्फ की सदोष घोषणा से संबंधित नई धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन करने के लिए है । यह वक्फ की कतिपय शर्तें, पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ का विवरण फाइल करना, वक्फ की सदोष घोषणा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 सर्वेक्षण अधिकारियों के स्थान पर कलक्टर को बदलने के लिए वक्फ के प्रारंभिक सर्वेक्षण से संबंधित धारा 4 का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जिससे राज्य की राजस्व विधियों में प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए कलक्टर को शक्तियां दी जा सकें ।

chaturpost.com

विधेयक का खंड 6 औकाफ की सूची के प्रकाशन से संबंधित धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जिससे पन्द्रह दिन के भीतर पोर्टल पर औकाफ की अधिसूचित सूची और डाटाबेस अपलोड करने का उपबंध करने के लिए नई उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) अंत:स्थापित की जा सकें । यह उपधारा (3) का भी प्रतिस्थापन करता है, जो भू-अभिलेखों में दाखिल खारिज विनिश्चित करने के पूर्व 90 दिन की लोक सूचना का उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 7 औकाफ से संबंधित विवादों से संबंधित धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जा सकें ; और "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 8 औकाफ से संबंधित विवादों का अवधारण करने के लिए अधिकरण की शक्ति से संबंधित धारा 7 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें "आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" सम्मिलित किया जा सके ; और "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 9 केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना और गठन से संबंधित धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जिससे गैर-मुस्लिम समुदाय से दो सदस्य सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए विस्तृत आधार वाली संरचना का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 10 निगमन से संबंधित 13 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यदि आवश्यक समझा जाए तो बोहरा और आगाखानी के लिए पृथक् औकाफ बोर्ड स्थापित

करने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 11 बोर्ड के गठन से संबंधित धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अन्य बातों के साथ गैर-मुस्लिम समुदाय से दो सदस्यों का उपबंध करके राज्य वक्फ बोर्ड की विस्तृत आधार वाली संरचना का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 12 धारा 16 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हताओं से संबंधित है, जिससे किसी अपराध के लिए निरर्हता के एक आधार के रूप में दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की दोषसिद्धि को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 13 धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो यह उपबंध करती है कि बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार हो ।

विधेयक का खंड 14 धारा 20क का लोप करने के लिए है, जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 15 धारा 23 का संशोधन करने के लिए है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और उसकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से कम का नहीं हो तथा उसके मुस्लिम होने की अपेक्षा का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 16 धारा 32 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य से संबंधित है, जिससे उपधारा (2) के खंड (ङ) में स्पष्टीकरण और परंतुक का लोप किया जा सके, जिससे प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का उपबंध किया जा सके ; और "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप उपधारा (3) में किया जा सके ।

विधेयक का खंड 17 धारा 33 का संशोधन करने के लिए है, जो निरीक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की शक्तियों से संबंधित है, जिससे धारा 33 की उपधारा (4) के परंतुक में "और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जा सके ; या उपधारा (6) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 18 धारा 36 का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ के पश्चात् कोई वक्फ वक्फ विलेख के बिना निष्पादन के सृजित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 19 धारा 37 का संशोधन करने के लिए है, जो औकाफ़ रजिस्टर से संबंधित है, जो विहित रीति में बोर्ड द्वारा औकाफ़ का रजिस्टर रखने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 धारा 40 का लोप करने के लिए है, जो यह विनिश्चय कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 21 धारा 46 का संशोधन करने के लिए है, जो औकाफ़ के लेखा प्रस्तुत करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 22 धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो औकाफ़ के लेखा की

संपरीक्षा से संबंधित है, जिससे पचास हजार रुपए पद को एक लाख रुपए पद से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 23 धारा 48 का संशोधन करने के लिए है, जो संपरीक्षक की रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा आदेश का पारित किया जाने से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड की कार्यवाहियां और आदेश ऐसे रीति में प्रकाशित किए जाएंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

विधेयक का खंड 24 मुतवल्ली की निरर्हता से संबंधित एक नई धारा 50क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 धारा 52 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 51 के उल्लंघन में अंतरित वक्फ संपति की वसूली से संबंधित है, जिससे "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप उपधारा (4) में किया जा सके ।

विधेयक का खंड 26 धारा 52क का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपति के अन्य संक्रामण के लिए शास्ति से संबंधित है, जो कठोर कारावास की बजाए कारावास का उपबंध करती है तथा अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होने से संबंधित उपधारा (2) और उपधारा (4) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 27 धारा 55क का संशोधन करने के लिए है, जो अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ संपति पर छोड़ी गई संपति का व्ययन से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 28 धारा 61 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्तियों से संबंधित है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, बीस हजार रुपए की शास्ति का उपबंध करती है, जो मुतवल्लियों द्वारा कतिपय असफलता के लिए एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।

विधेयक का खंड 29 धारा 64 का संशोधन करने के लिए है, जो मुतवल्ली को हटाने से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि युक्तियुक्त कारण के बिना दो वर्ष की बजाए एक वर्ष के लिए नियमित लेखे रखने में असफल होता है या लगातार दो वर्ष की बजाए एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में असफल होता है ; यह और उपबंध है कि मुतवल्ली को हटा दिया जाएगा यदि वह किसी ऐसे संगम का सदस्य है, जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया है ; तथा "ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 धारा 65 का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ औक़ाफ़ का बोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह मास के भीतर सीधे प्रबंध ग्रहण किए जाने की अवधारणा से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 31 धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रबन्ध समिति का पर्यवेक्षण और अतिष्ठित किए जाने से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा ; "और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा" शब्दों का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 32 धारा 69 का संशोधन करने के लिए है, जो वक्फ के प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित है, जिससे उपधारा (3) का लोप किया जा सके तथा उपधारा (4) में एक परंतुक अंत:स्थापित किया जा सके कि इस उपधारा के अधीन

ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति तथा जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए लिखित नोटिस नहीं दिया जाता है ।

विधेयक का खंड 33 धारा 72 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान से संबंधित है, जिसमें सात प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत अंशदान किया गया है ।

विधेयक का खंड 34 धारा 73 का संशोधन करने के लिए है, जो बैंकों या अन्य व्यक्ति को संदाय करने का निदेश देने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति से संबंधित है, तथा "ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 35 धारा 83 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिकरणों, आदि का गठन से संबंधित है, जिससे अधिकरण के गठन को रुपांतरित किया जा सके तथा यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई अधिकरण नहीं है या अधिकरण कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई व्यथित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ; तथा यह और उपबंध किया जा सके कि सदस्य का अनुपस्थिति की दशा में, पीठ का अध्यक्ष अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा । यह भी उपबंध है कि प्रस्तावित विधान के प्रवर्तन के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष और इसके सदस्यों के पद की अवधि की समाप्ति तक ऐसे कृत्य करना जारी रखेगा । यह भी उपबंध है कि अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा । यह भी उपबंध है कि अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 36 धारा 84 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों के शीघ्रता से किए जाने और पक्षकारों को अपने विनिश्चय की प्रतियों के दिए जाने से संबंधित है । यह उपबंध करता है कि यदि मामला छह मास के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, तो अधिकरण लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए कि क्यों मामला उक्त अवधि के भीतर [illegible] विनिश्चित नहीं किया गया था, छह मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित करेगा ।

chaturpost.com

विधेयक का खंड 37 धारा 91 का संशोधन करने के लिए है, जो 1894 के अधिनियम 1 के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित है, जिससे भूमि अर्जन अधिनियम के निर्देश को "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013" से प्रतिस्थापित किया जा सके ; तथा "तीन मास" की अवधि को "एक मास" की अवधि से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 38 धारा 100 का संशोधन करने के लिए है, जो सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण से संबंधित है, जिससे इसके विस्तार के भीतर सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर, कलेक्टर को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 39 धारा 101 का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक समझे जाने से संबंधित है, जिससे इसके विस्तार

के भीतर सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर, कलेक्टर को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 40 धारा 104 का लोप करने के लिए है, जो उन व्यक्तियों द्वारा, जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, उनके द्वारा दी गई या दान की गई सम्पति को अधिनियम के लागू होने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 41 धारा 107, धारा 108 और धारा 108क का लोप करने के लिए है, जो वक्फ संपति की वापसी के लिए 1963 के अधिनियम 36 का लागू न होना ; निष्क्रांत वक्फ संपति के बारे में विशेष उपबन्ध ; अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 42 एक नई धारा 108क का अंत:स्थापन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 43 धारा 109 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 44 धारा 110 का संशोधन करने के लिए है, जो विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित है ।

chaturpost.com